हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

वर्ष : 14 अंक : 09 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 सितम्बर, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

समता आन्दोलन समिति सहित अन्य याचिकाओं पर .....

एससी-एसटी कोटे की अवधि बढाने के 104वें संविधान संशोधन की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को बढाकर दिये गये आरक्षण को चुनौती देने वाली समता आन्दोलन सहित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 21 नवम्बर से सुनवाई करने का निर्णय किया है।

सीजेआई डी.वाई चन्द्रचूड की अगुवाई में जस्टिस ए.एस.बोपन्ना, जस्टिस एम.एम.सुन्दरेश, जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम -19 की वैधता पर फैसला करेगा। इसके तहत एससी-एसटी के लिए राजनैतिक आरक्षण 10 साल और बढा दिया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह पहले के संशोधनों के माध्यम से एससी-एसटी आरक्षण के विस्तार पर वैधता पर विचार नहीं करेगी। पीठ इस पर विचार करेगी कि क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की अवधि की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि बढाने के लिए संशोधन की घटक शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक रूप से वैध है? पीठ ने कहा 104वां संशोधन एससी-एसटी पर लागू होता है, क्योंकि एंगलो इंडियन्स के लिए आरक्षण संविधान बनने के 70 साल पूरे होने पर समाप्त हो गया है। पीठ ने कहा कि दस्तावेजों का सामान्य संकलन 17 अक्टूबर तक दाखिल किया जायेगा। लिखित प्रस्तुतियाँ 7 नवम्बर तक दाखिल की जा सकती है। कुछ महिने पहले कोर्ट ने 104वें संविधान संशोधन पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था।

उत्साहित समता आन्दोलन

सुप्रीम कोर्ट मे संविधान पीठ के समक्ष राजनीतिक आरक्षण समाप्त करने या इसे रोटेशन से आरक्षण या टिकटों के आरक्षण मे बदलने की समता आन्दोलन की याचिका पर सुनवाई हुई। बहस के लिये कुल सात फाइनल इस्सूज फ्रेम किये गये। सभी याचिकाकर्ताओं को अपने लिखित आर्गूमेण्ट्स चार सप्ताह मे पेश करने के निर्देश दिये गये। नोडल वकील श्री पुनीत जैन को सभी आर्गूमेण्ट्स का कम्पाइलेशन बनाने के निर्देश दिये गये। कौन वकील अपनी बहस के लिये कितना समय लेना चाहता है, इसकी लिखित सूचना मांगी गई।

दैनिक सुनवाई 21 नवम्बर से शुरू करने के निर्देश दिये गये। ईश्वर ने चाहा तो आगामी 31 दिसम्बर तक राजनीतिक आरक्षण की महामारी पर कोई महत्वपूर्ण फैसला आने की प्रबल सम्भावना है। संविधान पीठ मे मुख्य न्यायाधीश के अलावा चार अन्य जज भी थे। समता आन्दोलन की ओर से श्री गोपाल शंकरनारायणन, श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री लालप्रतापसिंह, श्री विशाल सिंह और पवन शर्मा की टीम ने बहस की। एडवोकेट पाराशर नारायण शर्मा ने सभी को एसिस्ट किया।

अनुच्छेद 334 में यह है प्रावधान

मूल रूप में संविधान के अनुच्छेद 334 में प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभाओं में एससी-एसटी और एंगलो इंडियन्स के लिए आरक्षण संविधान के प्रारम्भ से 10 साल बाद यानि 1960 से प्रभावी नहीं होगा। आरक्षण की अवधि 10-10 साल बढाने के लिए अनुच्छेद में समय-समय पर संशोधन किया गया। इस क्रम में 104वां संशोधन 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ।

ओबीसी का वर्गीकरण करके EWS के पांचों मानदण्ड ओबीसी में लागू किये जाए: शमशुद्दीन

जयपुर। हाल ही पिंक सिटी प्रेस कल्ब में समता आन्दोलन ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शमशुद्दीन ने अपनी टीम के साथ प्रेस वार्ता में ओबीसी से संबंधित समता आन्दोलन की नीतियों और मांगों का उल्लेख करते हुये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लगभग सम्पूर्ण लाभ केवल एक ही जाति द्वारा वर्षों से हड़पा जा रहा है।

शमशुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2003 में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (आर.एस.वर्मा आयोग की रिपोर्ट) की नौंवी रिपोर्ट में वास्तविक पिछड़ी और कमजोर जातियों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग की जातियों को 03 वर्गों में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश को अविधिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। जिसके कारण पिछले 20 वर्षों से ओबीसी वर्ग में शामिल अन्य सभी जातियाँ वंचित होती जा रही हैं।

शमशुद्दीन ने आगे बताया कि केन्द्र सरकार ने भी वास्तविक वंचितों और पिछड़ों तक आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में रोहिणी आयोग की नियुक्ति कर अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण हेतु उचित मानदण्ड तय करते हुये रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया था। इस रोहिणी आयोग ने अगस्त 2023 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

उन्होंने अपने व्यक्तव्य में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नौंवी रिपोर्ट, रोहिणी आयोग द्वारा अगस्त 2023 में प्रस्तुत रिपोर्ट और हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन या चार भागों में वर्गीकृत करने की मांग की ताकि राजस्थान की 90 से अधिक वास्तविक, वंचित और पिछड़ी जातियों को भी लाभ मिल सके।

ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष शमशुद्दीन ने EWS के पांचों मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग में भी लागू किये जाने की मांग करते हुये कहा कि ओबीसी में से जो क्रिमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना है वो बिल्कुल ही अनुपयोगी एवं प्रभावहीन है। इस क्रिमिलेयर की अधिसूचना के आधार पर केवल एक प्रतिशत अति सम्पन्न व्यक्ति ही ओबीसी से बाहर हो पाते है, जिसके कारण सम्पन्न और धनाढ्य व्यक्तियों के परिवार विपन्न, गरीब व वास्तविक पिछड़ों के अधिकारों को लगातार हड़पते जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग का वास्तविक वंचित और पिछड़ा वर्ग आज भी आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है।

उन्होंने कहा कि EWS के लिए निर्धारित पांचों मानदण्ड यदि ओबीसी में भी लागू कर दिये जाते है तो वास्तविक वंचितों और पिछड़ों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जायेगा।

उन्होने आगे कहा कि हमारे द्वारा ओबीसी वर्ग के वास्तविक वंचितों एवं पिछड़ों के उत्थान हेतु राज्य सरकार से पिछले पांच वर्षों से लगातार ये प्रार्थनाएँ की जा रही हैं। कि ओबीसी का वर्गीकरण किया जावे एवं EWS के लिए निर्धारित पांचों मानदण्ड ओबीसी पर भी लागू किये जाये। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया निराशाजनक है। इस अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं को अब तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे गये सभी ज्ञापनों की प्रतियाँ भी दी।

अध्यक्ष की कलम से

'' बधाई ''
नया संसद भवन

साथियों,

19 सितम्बर 2023 को भारत पूरी तरह पुरूषार्थी हो गया है। लोक विश्वास में अपना भवन बनाना श्रेष्ठ पुरूषार्थ माना गया है। आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव मनाते हुये अपने स्वयं के संसद भवन से देश का भाग्य लिखना शुरू कर चुका है भारत देश। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय दृष्टि को हजार बार साधुवाद है।

हालांकि लुटियंस द्वारा निर्मित राष्ट्रपति भवन, आकाशवाणी का प्रसारण भवन और संसद भवन गोल और ऊंचे खम्भों पर टिकी भव्य इमारते हैं। और अपने निर्माण के समय अंग्रेजों की मंश का प्रकटीकरण थे। उस कालखण्ड का कौंसिल हाउस आगे चलकर संसद भवन अर्थात पार्लियामेंट हाऊस कहलाया। इन तीन भवनों में से सबसे पहले प्रसारण भवन का नया भवन बनाया गया। अब संसद भवन नया बनकर काम भी करने लगा है।

जब संसद भवन बना था तब देश की जनसंख्या लगभग 30-32 करोड़ हुआ करती थी। आज 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या 2026 के परिसीमन में अवश्य बढने वाली है। अत: नये संसद भवन का ठीक समय पर बनकर शुरू होना भारत को ''अपना भाग्य विधाता'' बनने की घोषणा है।

आने वाले पचास सालों में भारत को जिस तरह विश्व नेतृत्व संभालने की संभावना मिलने वाली है। उस दृष्टि से नया संसद भवन पुन: स्पष्ट घोषणा है। जय भारत जय भारतवासी। **जय समता**

सम्पादकीय

''जात का वाद नहीं होता ''

पार्षद से लेकर पंथ प्रधान तक जिसे देखो वहीं देश से जातिवाद को मिटाने की बात करता है। दूसरी तरफ देश के शायद दुनिया के भी सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जब बोलते हैं तब जातिवाद को स्थाई रखने का संकेत देते हैं। दो-तीन साल पहले वे बोले थे- जातिवाद एक हजार साल तक खत्म नहीं हो सकता है। हाल ही उन्होंने कहा कि ''विगत दो हजार साल से हमने जिन भाईयों पर अत्याचार किया है तो दो सौ साल तो सहन करना ही चाहिये'' - ये कथन पूर्णत: कल्पना पर आधारित है क्योंकि ऋषि कोहट, वाल्मिकी, रैदास आदि कितने ही युगपुरूष हुये हैं जिन्हें आज तक न केवल याद किया जाता है अपितु उनकी रचनाओं को शास्त्रीय ग्रंथों की तरह पढा जाता है।

मोहन भागवत ने अपने कथन के प्रमाण में कुछ भी ठोस तथ्य नहीं दिये हैं। लेकिन, हमारा सम्पादकीय उन पर नहीं बल्कि जातिवाद पर चर्चा के लिए है। इसके लिए पहले जात अथवा जाति को परिभाषित करना जरूरी है। तथ्य ये बताते हैं कि जात शब्द कब से शुरू हुआ इसका कोई ठोस व स्पष्ट उदाहरण कहीं नहीं है। साधारणत: सभी स्तरों पर कहा जाता है कि ''ब्राह्मण'' ने जात के आधार पर समाज में भेद पैदा किया? लेकिन वर्तमान जगदगुरू का कथन है कि ''ब्राह्मण'' स्वयं में ही कोई जात नहीं है।

सनातन धर्म में स्पष्ट तौर पर चार वर्णों का लिखित उल्लेख है और बार-बार है। लेकिन चार वर्ण ही जात होते तो आज देश में जो सैकड़ों जातियाँ है वो कहां से आई और किसने उन्हें बनाया? फिर वर्ण तो पूर्णत: कर्म के आधार पर पूरी मानवता को चार भागों में बांटते हैं और यह सुखद आश्चर्य है कि हजारों साल पहले जो व्यवस्थाा बनाई गई थी वो आज तक वैसी ही है। चारों वर्ग में न तो एक भी जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सका है। जबकि जातों की यें हालत है कि हर साल 7 से 10 नई जातियाँ अभी भी सूचित हो रही हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पार्षद से लेकर पंथ प्रधान तक यदि जातिवाद मिटाना चाहते है तो बार-बार नयी जातियों को सूची में शामिल करके कैसे मिटायेंगे??

असल बात ये है कि जात का कोई वाद नहीं होता क्योंकि हो ही नहीं सकता है। वाद विचार का होता है जबकि जात कर्म पर आधारित होती हैं। वाद के रूप में मार्क्सवाद, माओवाद, गांधीवाद की चर्चा पूरी दुनिया में होती है जबकि जात के संदर्भ में चर्चा केवल भारत तक सीमित है क्योंकि जात का कोई वाद नहीं होता। जात को वाद के रूप में प्रस्तुत करके कथित राजनैतिक पार्टियों ने आजादी के बाद से ही सत्ता पर कब्जा किया है। यदि जात का वाद होता तो मायावती, पासवान, जीतन मांझी जैसे नेताओं की पूजा होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

रामानंदाचार्य ने जात को मनुष्य से बड़ा नहीं मानकर 'जाबाल' को ही शिष्य नहीं बनाया अपितु अनेक दूसरे लोगों को भी आध्यात्म की मुख्यधारा दी जो तत्कालीन समाज में अछूत थे। लोकतंत्र में जात को वाद के रूप में प्रस्तुत करके सत्ता हथियाने का पुराना चलन अब बदल रहा है। जनता समझ रही है कि उनकी भावनाओं और सामाजिक परम्पराओं का दुरुपयोग करके पार्टियाँ और नेता उन्हे ठग रहे है। जनता का जागना ही लोकतंत्र की जीत है। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

राष्ट्र और नीति निर्माण में भागीदारी निभाएं युवा

ऋग्वेद का एक मंत्र है-
'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्
देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।।
समानो मन्त्र: समिति: समानी समानं मन: सहचितमेषाम्

ऋग्वेद के दशम मण्डल के इस संज्ञान सूक्त का भावार्थ है कि 'हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन-विचार एक हों। उसी तरह, जिस प्रकार पहले विद्वान/देवता अपने नियत कार्य के लिए एक होते थे। मिलकर कार्य करने वालों का मंत्र समान होता है, अर्थात परस्पर मंत्रणा करके एक निर्णय पर पहुंचा जाता है।''

इतिहास के प्रत्येक कालखण्ड में किसी भी व्यवस्था, राष्ट्र या समाज के सशक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन सदा युवाशक्ति ने किया है। देश की स्वाधीनता से लेकर देश के निर्माणा और विकास में युवा वर्ग का योगदान प्रमुख रहा है। अपनी सक्रियता और समर्पण से भारत के लोकतंत्र के सशक्तीकरण में भी युवाओं की मुख्य भागीदारी रही है। भारत का लोकतंत्र हमें स्वाधीनता के बाद मिला उपहार नहीं है, बल्कि यह हमारी वह विरासत की निरंतरता है, जिसकी जड़े हमारे राष्ट्र के प्राचीनतम काल से दिखाई देती हैं। यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में 'लोकतंत्र' शब्द की गूंज से बहुत पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की जन्मभूमि के रूप में विकसित हो चुका था। प्राचीन सिंधु-सरस्वती सभ्यता, वैदिक काल, जनपद काल के दौरान भी हमारे यहां लोकतांत्रिक रीति-नीति का होना प्रमाणित हुआ है। इसी व्यवस्थाा को स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक स्वरूप में हमने अपनाया और पिछले 75 से अधिक वर्षों से समय में इसे और अधिक सशक्त और सुसंगत बनाया है।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय है- 'आने वाली पीढी का सशक्तीकरण।' यह सशक्तीकरण ज्ञान से हो, कर्तव्यबोध और समर्पण से हो। राष्ट्र-निर्माण की अनवरत प्रक्रिया में युवा वर्ग को आवश्यक भूमिका निभानी है। युवा वर्ग की रचनात्मकता, नवप्रवर्तन और उर्जा हमारे समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। युवा वर्ग की जिज्ञासा, समाधान खोजने की ललक और बड़े सपने देखने की क्षमता देश की प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति है। युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों।

> लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली और संविधान के प्रति समझ जितनी गहरी होगी, संवैधानिक आदर्शों के प्रति सम्मान में उतनी ही अधिक बढोत्तरी होगी। इससे व्यक्तित्व का विकास होगा। युवा वर्ग को सभी क्षेत्रों में नवाचार व उद्यम के माध्यम से अपने आपको विकसित करना है। कर्तव्य भावना, समर्पण और संकल्प से देश को बढाना है। स्वयं को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य की कसौटी पर कसिए। राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जितना परिश्रम करेंगे, अधिकारों को भी उतना ही बल मिलेगा।

किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, कार्य क्षेत्र कोई भी हो, भारत के पवित्र संविधान का अध्ययन अवश्य करें। राष्ट्रीय स्वाधीनता के साथ संविधान सभा में जो विमर्श हुआ था, जो चर्चाएं हुई थीं, उनका अध्ययन करें। अपने-अपने प्रदेश और देश की विधायिका के सत्रों में हुये चर्चा संवाद को पढ़ें। विधायी प्रणाली के बारे में जानने के लिए अपनी रूचि पैदा करें। युवाओं के लिए लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ मतदान करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हर बार चुनाव में मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा है, मगर मतदान करने भर से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि मतदान से तो यह जिम्मेदारी शुरू होती है। जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, वे निष्ठा और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, वे अपने संसदीय दायित्वों एवं मर्यादाओं का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं इसका आकलन निरंतर करना होगा। युवा वर्ग की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र और समाज निर्माण के हर एक नीति-निर्णय में भागीदारी करे। महत्वपूर्ण विधेयकों और कानूनों का विश्लेषण करे। विधेयक किस तरह सदन में पारित होते हैं, विधि निर्माण की कैसी प्रक्रिया होती हैं, इन सभी पहलुओं को समझे। युवाओं को संसदीय प्रणाली से जोड़ने के लिए इन वर्षों में संसद में अभिनव प्रयोग किये गये है। देश के युवाओं को युवा संसद के माध्यम से संसदीय आचार-विचार से जोड़ने के अतिरिक्त संसद के केन्द्रीय कक्ष में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित युवा हमारे महापुरूषों के जीवन, उनके योगदान पर अपने विचार साझा करते हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरूषों के जीवन को गहराई से समझें, जाने और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल और कॉलेज के विधार्थियों के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम का अयोजन किया जाए ताकि आने वाली युवा पीढी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके। शिक्षार्थियों के लिए संसद भ्रमण को समय के साथ सहज और सुविधाजनक बनाया गया है। संसद की अधिकधिक चर्चाएं ऑनलाइन माध्यम एवं डिजिटल संसद ऐप पर उपलबध हैं। संसद पुस्तकालय में आप संविधान सभा की चर्चाओं का अध्ययन कर सकते हैं। यह पुस्तकालय डिजिटल ऐप में भी उपलब्ध है।

लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली और संविधान के प्रति समझ जितनी गहरी होगी, संवैधानिक आदर्शों के प्रति सम्मान में उतनी ही अधिक बढोत्तरी होगी। इससे व्यक्तित्व का विकास होगा। युवा वर्ग को सभी क्षेत्रों में नवाचार व उद्यम के माध्यम से अपने आपको विकसित करना है। कर्तव्य भावना, समर्पण और संकल्प से देश को बढाना है। स्वयं को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य की कसौटी पर कसिए। राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जितना परिश्रम करेंगे, अधिकारों को भी उतना ही बल मिलेगा। हाल ही विश्व भर में युवाओं के चिर प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में उद्बोधन के 130 वर्ष पूर्ण हुये हैं। स्वामी विवेकानन्द जब भारत के भविष्य की बात करते थे, तो उनकी आँखों के सामने माँ भारती की भव्यता का चित्र होता था। वे कहते थे कि जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, इतिहास से सीखों और आगे बढ़ो, और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान और श्रेष्ठ बनाओ। युवा इसी भावना से राष्ट्र के प्रति स्वयं को पुन: समर्पित करें। पत्रिका से साभार।

ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष

पौराणिक कथन: ''कृति''

बहुलाश्व का पुत्र तथा प्रसिद्ध महावशी का पिता। महावशी जनक वंश का अंतिम राजा था।

मानवता के ढोल नगाड़े,
फटे पड़े घर के पिछवाड़े।
भूत प्रेत सब खुले नाचते-
देव बंद है अपने बाड़े।।

कविता

कुछ दोहे

आरक्षण के मायने,
समझ न पाये यार।
जिनको भी सौंपा इसे,
वे अब तक लाचार।।
वे अपनी जाती जिएं,
हम जीवें सम्मान।
बैसाखी बनती नहीं,
जीवन का वरदान ।।
संसद छोटी सी दिखे,
जात बनी भगवान।
त्यागी तपसी गौण हैं,
लंपट हुए महान।।
मानवता के मान पर,
जाती मारे चोट।
नेता खुश हो लूटते,
जात नाम पर वोट।।
कोई भी समझा नहीं,
क्या होती है जात।
असमंजस में न्याय है,
शाख कहें या पात।।
मन ने कहा दिमाग से,
समझ समय की चाल।
जो भी माने जात को,
वे सब मालामाल।।
सब कुछ बदले काल पर,
बदल न सकता जात।
सबकी अपनी देग है,
सबकी अलग कनात।।
आरक्षण के मायने,
समझ न पाये यार।
जिनको भी सौंपा इसे,
वे अब तक लाचार।।

-- सत्यनारायण गुप्ता --

पूर्व अनिवार्यताएँ

गतांग से आगे-

यह सब उस समय, जब लोकतंत्र का झूठा विश्वास हो ; यहाँ जो कुछ होता है, वह जनता की इच्छा से होता है ; शासक जो कुछ कर रहे हैं, उसका उनके पास 'अधिदेश' है । सामाजिक न्याय के ऊपर औचित्य - निर्धारकों का एक बडा दल है - सिविल सेवकों से लेकर अधिकारियों, विधायकों, अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों तक ;दुःख की बात है कि कई पत्रकार भी ।

हम 'कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता' की बात करते हैं ; हम 'कानूनों की सरकार, लोगों की नहीं' की बात दोहराते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कानून क्या है? जननेता का जामा पहने किसी भडकाऊ या जनोत्तक व्यक्ति से बचाने के लिए वह क्या कर सकता है, जो स्वयं को सामाजिक न्याय का मसीहा बताकर लोगों को छलता है? वह संविधान ही क्या है, जिसे बार-बार बदल दिया जाता है ?

दुःख की बात यह है कि न्यायालय भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे हैं । यहाँ तो अन्याय को भी विधिसम्मत बनाया जा रहा है । जो प्रगति हुई है और आज भी हो रही है - उदाहरण के लिए, किस प्रकार, आधुनिकीकरण के चलते जाति - विस्फोट हो रहा है, जिसका विस्तृत विवरण हम पढ चुके हैं -उसे दृढतापूर्वक उपेक्षित कर दिया जा रहा है । इससे भी दुःखद बात, गुणवत्ता स्तर और मानदंड-जो आज की कडी प्रतियोगितावाली दुनिया में हमें स्वयं को बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं -को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और वह भी किसी अवसरवादी राजनेता की बातों में आकर ।

ऐसे में -

* हमें ध्यान देना होगा कि किस प्रकार 'गरीब', 'पिछडे' और 'सामाजिक न्याय' जैसे प्रलोभनकारी शब्दों का प्रयोग करके गुणवत्ता स्तर को नीचे गिराया जा रहा है, नियमों - शर्तों को तोडा जा रहा है ।
* और सरकारी संस्थाओं को संचालित किया जा रहा है । उन वर्गों के लाखों - करोडों लोगों के नहीं बल्कि इन लाखों - करोडों लोगों को बेवकूफ बनानेवाले कुछेक लोगों के लिए, जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ।
* हर दावे की तार्किक आधार पर जाँच की जानी चाहिए -चाहे वह 'गरीबों' के नाम पर किया जा रहा हो या फिर 'पिछडों' के नाम पर ।
* छूट देने के बाद जल्दी ही अनुभवजन्य प्रमाण के आधार पर उसकी समीक्षा या जाँच की जानी चाहिए ।
* परिणामी अथवा परिणाम की समानता के स्थान पर अवसर की समानता का लक्ष्य रखा जाना चाहिए ।
* ऐसा करते समय राजनेताओं को आरक्षण आदि की बात से दूर रखा जाए और उन्हें पिछडों की सहायता के लिए आवश्यक अन्य सकारात्मक सुविधाओं के लिए लगातार काम करने के लिए कहा जाए, जिससे पिछडे वर्ग के लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें ।
* सामाजिक न्याय जैसे कभी न पूर्ण होनेवाले लक्ष्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो अंततः सरकारी ढाँचे को कमजोर बनाते हैं । सार्वजनिक बहस को 'बडा राज्य बनाम छोटा राज्य' की अवधारणा से अलग करके सक्रिय या सफल राज्य की अवधारणा की ओर ले जाया जाना चाहिए ।
* यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब बहुसंख्यक समुदाय छोटे समूहों की उपेक्षा करता है तो इससे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है । इसी तरह यदि इन छोटे समूहों के नेता छूट -पर- छूट का दावा करते हैं, उन्हें आक्रामक बनाते हैं तो बहुसंख्यक की ओर से भी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया होती है ।
* सरकारी नीतियाँ विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए ।
* सरकारी नीति की इकाई व्यक्ति होना चाहिए, न कि पूरा समूह ।
* किसी एक समूह- उदाहरण के लिए धार्मिक समुदाय- को ऐसी कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, जिससे दूसरे समूह को वंचित किया जा रहा हो ।
* इसी तरह, किसी जातीय अथवा धार्मिक समूह को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, जिससे धर्मनिरपेक्ष समूह को वंचित रखा जा रहा हो ।

मुझे याद है, यही बात मैं उस समय कह रहा था, जब भिंडरावाले को संरक्षण दिया जा रहा था । मुझे संप्रदायवादी कहकर निंदित किया गया । जो कुछ हो रहा था, वह मेरी समझ से परे था।

उस समय की बात भी मुझे याद है, जब शाहबानो मामले के समय धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छूट दी और ली जा रही थी; और मैंने ये बातें उस समय भी कही थीं । मुझे संप्रदायवादी कहकर निंदित तथा धुडक दिया था । अंततः जो कुछ हुआ, वह मेरी समझ से परे था ।

मुझे मालूम है कि इस बार भी वैसी ही निंदा और भर्त्सना मिलेगी । उस समय परिणाम पर हाय-हाय करने का कोई फायदा नहीं होगा ।

गंभीरता और साहस

बुद्धिजीविता तो भारतीय सार्वजनिक बहस से गायब ही हो गई है । उसकी जगह ले ली है अभित्रास ने, जैसा हमने स्वयं देखा । बहस में तर्क और बुद्धिजीविता का सहारा न लेकर नारों का सहारा लिया जा रहा है ।

अभिमान और हठधर्मिता का सहारा लिया जा रहा है - जरा याद करें, उधर मणिपुर विद्रोह की आग में जल रहा था और यहाँ दिल्ली के दो अग्रणी समाचार-पत्र इन सवालों में उलझे थे कि शराब की दुकानें आधी रात तक क्यों नहीं खुली रहनी चाहिए और दिल्लीवासी क्यों न चौबीस घंटे खरीदारी का आनंद उठा सकें ! 'संतुलित पत्रकारिता द्वारा'-'मुरली मनोहर जोशी कहते हैं.... अर्जुन सिंह कहते हैं'....,ताकि यदि कल 25 जून की घटना फिर से दोहरा जाए तो 'द टाइम्स ऑफइंडिया' को संपादकीय के लिए अच्छी सामग्री मिल जाए । हालाँकि मैं मानता हूँ कि 25 जून को उसने जो कुछ छापा था, उसकी अपेक्षा यह काफी परिष्कृत होता - प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने आपातकाल का भी खुलकर समर्थन किया था ।

दुःख की बात है कि हमारे न्यायालयों के निर्णयों में भी वांछित चिंतनशीलता की झलक नहीं दिखाई देती ।प्राथमिक सिद्धांतों के प्रति वे कम ही सतर्कता प्रदर्शित करते हैं - विशेषकर उस समय जब राजनीतिक वर्ग और टिप्पणीकार इन सिद्धांतों की इज्जत नीलाम कर रहे हों ।

-शेष अगले अंक में

अरूण शोरी की पुस्तक आरक्षण के दंश से

उदाहरण के लिए, किस प्रकार, आधुनिकीकरण के चलते जाति - विस्फोट हो रहा है, -उसे दृढतापूर्वक उपेक्षित कर दिया जा रहा है। इससे भी दु:खद बात, गुणवत्ता स्तर और मानदंड- जो आज की कडी प्रतियोगितावाली दुनिया में हमें स्वयं को बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं - को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और वह भी किसी अवसरवादी राजनेता की बातों में आकर ।

हम 'कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता' की बात करते हैं ; हम 'कानूनों की सरकार, लोगों की नहीं' की बात दोहराते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कानून क्या है? जननेता का जामा पहने किसी भडकाऊ या जनोत्तक व्यक्ति से बचाने के लिए वह क्या कर सकता है, जो स्वयं को सामाजिक न्याय का मसीहा बताकर लोगों को छलता है? वह संविधान ही क्या है, जिसे बार-बार बदल दिया जाता है ?

नारी तेरा वंदन है अभिनन्दन है

शक्ति प्रतिष्ठा का पर्याय महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ

* ''नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023'' पर राज्यसभा में चली चर्चा का संचालन भी महिलाओं ने ही किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने 13 महिला सदस्यों का पैनल बनाकर उन्हें ही सदन के संचालन की जिम्मेदारी सौपी।
* 1996 के बाद महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का यह सांतवा प्रयास था जो पूर्णत कामयाब रहा।
* लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 एवं विपक्ष में 02 वोट पड़े। सिर्फ औबेसी की पार्टी के दो सांसदों ने विरोध किया।
* राज्यसभा के सभी 215 सदस्यों ने महिला आरक्षण

नई दिल्ली। विधायिका में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा ने दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित कर नारी सशक्तिकरण की दिशा में चिरलंबित एक एतिहासिक निर्णय किया।

महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान वाले ''नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023'' को लोकसभा में दिनांक 20 सितम्बर 2023 को दिन भर चली चर्चा के बाद मत विभाजन के लिए रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्ची से हुये मत विभाजन की घोषणा करते हुये कहा कि विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में 02 मत पड़े है। उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को नये संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पहले विधायी कार्य के तहत सदन में पेश किया था। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया है।

चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के नये परिसीमन की आवश्यकता के बारे में सदस्यों की जिज्ञासा का स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि विधेयक को लागू करने में परिसीमन आवश्यक है। अमित शाह के भाषण के बाद तुरन्त चर्चा का जवाब देते हुये मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक पर सभी दल एकमत है।

चर्चा के दौरान कुछ राजनैतिक टिका-टिप्पणी की गई है जिसका जवाब गृहमंत्री ने दे दिया। विधेयक पर सदस्यों ने कुछ संशोधन रखे थे लेकिन असदुद्दीन ओबेसी के संशोधन को ध्वनिमत से खारीज कर दिया। ज्यादातर सदस्यों ने अपने संशोधन वापिस ले लिये।

दिनांक 21 सितम्बर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में सभी 215 सदस्यों ने वोट किया, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक का नाम ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' हो जायेगा। इससे पहले पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि इसके कानून बन जाने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जायेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत होगी।

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान महिला सांसदों ने सदन का संचालन किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पीटी उषा, जया बच्चन, फोजिया खान, डोला सेन और कनिमोई एनवीएन सोमू सहित कई महिला सांसदों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया।

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब परिसीमन का कार्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। इस विधेयक को विधानसभाओं के बहुमत की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

भस्मासुर बना आरक्षण विद्यार्थी कर रहे आत्मघात

कोटा। समता आंदोलन सिमिति कोटा संभाग के अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा ने कहा हैं कि कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या का मुख्य कारण जातिगत आरक्षण ही हैं । शर्मा ने जिला प्रशासन एवम राजनैतिक दलों पर आरोप लगते हुए कहा कि इनमे दम नहीं कि यह सही बात बोल सके। यह लोग समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं करके समस्याओं की शाखाओं पर प्रहार करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। वास्तविकता यह कि जब बालक जातिगत आरक्षण के कारण उनसे कम प्रतिभावान से पिछडते जा रहे हैं। तब उसको उसका भविष्य अन्धकारमय लगता हैं, और वह प्रतिभावान बालक कुंठा ग्रस्त होकर अवसाद में चला जाता हैं और आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेता हैं। समता आन्दोलन समिति कोटा ने देश के कर्णधारों को अकाल मौत से बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत कोटा में 1000 पोस्टर लगवाने शुरू कर दिये है-

समता आन्दोलन समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग

जयपुर। समता आंदोलन अध्यक्ष के आह्वान पर समता आन्दोलन समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में 80 सदस्यों वाली कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा की तरफ से दो प्रस्तावों पर चर्चा करने की सुचना दी गयी।

पहला प्रस्ताव में समता आंदोलन के मुख्य पत्र समता-ज्योति को व्यावसायिक बनाने को लेकर बताया गया कि औसत हर महीने 50-60 हजार रूपया खर्च हो रहा हैं जिसमे 20-22 हजार रूपया समता ज्योति पर खर्च हो रहा हैं। अत: यही सही होगा कि अब जिला और तहसील स्तर पर सहयोग राशि एकत्रित की जावे।

इसके लिए इक्कीस सौ, इक्यावन सौ, ग्यारह हजार, इक्कीस हजार, इक्यावन हजार और एक लाख रुपए तक सहयोग राशि जिलों पर इकट्ठी की जाएगी। इसके लिए 80 जी धारा का सहयोग लिया जा सकता हैं।

एकत्रित धनराशि का वितरण इस तरह किया जाये ताकि जिला मुख्यालय आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसके लिए प्रस्ताव दिया गया कि प्राप्त राशि का 30 प्रतिशत प्रदेश मुख्यालय और 60 प्रतिशत जिला मुख्यालय को आवंटित किया जायेगा। शेष दस प्रतिशत कार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होगी। लेकिन इसका केंद्रीय खाता एक ही रहेगा। सहयोग राशि देने वालो की इच्छा के अनुसार उनका विज्ञापन/सन्देश समता ज्योति में प्रकाशित होगा। प्रस्ताव पर सभी प्रतिभागियों ने सहमति प्रकट की।

दूसरा प्रस्ताव सांगठनिक पुनगर्ठन को लेकर रखते हुए अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने नये और युवा साथियों को जोड़ने से पहले शिथिल हो चुके वरिष्ठ सदस्यों को सक्रीय करने का आव्हान किया। यदि कोई वरिष्ठ सदस्य सक्रीय नहीं हो पा रहे है तो उन्ही से पूछकर उनके स्थान पर नए सदस्यों को सक्रीय किया जायेगा। इसी समय अजमेर से के जी मोदानी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि 33 से बढकर 50 हुए जिलों में नयी कार्यकारिणी का गठन किया जावे। मीटिंग में उपरोक्त के अलावा बाबूलाल विजय, गोपाललाल, कमल, केदारनाथ पाराशर, भंवर लाल, एनके झामड, तपन व्यास, भवानी शर्मा, पुरुषोत्तम, कैलाश राजपुरोहित ने भाग लिया और बड़ी संख्या में कार्यकारिणी सदस्यों ने वाट्सएप्प के माध्यम से प्रस्तावों को समर्थन दिया।

एनआरआई की 312 सीटे रिक्त पहली बार आरक्षण में किया तब्दील

एमबीबीएस प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा में एनआरआई कोटे के रिक्त सीटों पर पहली बार आरक्षण रखे जाने पर विवाद खड़ा हो गया हैं। दरअसल, नीट काउंसलिंग में एनआरआई की 312 सीटें इस बार रिक्त रह गई। अभी तक इस तरह रिक्त रहने वाली सीटें सामान्य श्रेणी के तहत प्रतिशत के आधार पर आवंटित की जाति थी। लेकिन इस बार काउंसलिंग बोर्ड ने रिक्त सीटों पर भी आरक्षण लागू कर दिया।

बोर्ड के इस निर्णय को मनमाना बताते हुये मेडिकल छात्रों ने विरोध में नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड को पत्र लिखकर एनआरआई कोटे की रिक्त सीटों को आरक्षित वर्ग से भरने का विरोध किया हैं। क्योंकि आरक्षण के तहत पहले ही कम अंक वालो को आरक्षण से बेहतर सीटें मिल चुकी हैं। यह हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in